न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील/एल.आर/204/2006/श्रीगंगानगर

श्री हारूण खां पुत्र श्री हक जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. ग्राम पंचायत, सरदारगढ़।

..... उत्तरदातागण

2. अपील/एल.आर/205/2006/श्रीगंगानगर

श्री हारूण खां पुत्र श्री हक जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. ग्राम पंचायत, सरदारगढ़।

..... उत्तरदातागण

एकल पीठ

श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विजय सोनी : अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री अभिषेक कोशिक : उप राजकीय अधिवक्ता
श्री एस.एस.मीणा : अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–2

––

निर्णय

दिनांकः 1/8/2012

अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दो अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा

76 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19/11/2005 (अपील संख्या 123/2005 एवं 122/2005) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति से दोनों अपीलों में पक्षकार, अन्तर्निहित कानूनी बिन्दु एवं विषयवस्तु एक समान होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक–साथ किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

2. हस्तगत प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एस.जी.एम. के पत्थर संख्या 89/361 के किला नम्बर 4 से 7 रकबा 1.012 हैक्टेयर एवं चक 9 एस.जी.एम. के पत्थर संख्या 89/360 के किला नम्बर 4 से 7 रकबा 1.012 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा काश्त के कारण कार्यवाही प्रारंभ की तथा तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 3/10/2005 से प्रकरण 20/2005 एवं 19/2005 में अपीलार्थी/अप्रार्थी को बेदखल करते हुए प्रत्येक प्रकरण में 506/– रूपये का तावान एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दोनों अपीलों को अपने निर्णय दिनांक 19/11/2005 से आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 3/10/2005 में से सिविल कारावास की सजा को सशर्त माफ कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उपरोक्त दो द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का बहस में कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहे हैं क्योंकि अपीलार्थी कई वर्षों से विवादित भूमि पर काबिज है अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/11/2004 के अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अंतर्गत अपीलार्थी के कब्जे को नियमित करने का स्पष्ट प्रावधान है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अपने कब्जे काश्त की भूमि के नियमन के लिये आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जावें एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रकाश में विवादित भूमि के नियमन हेतु सक्षम राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये जावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि विवादित भूमि जोहड पायतन की भूमि है तथा सामुदायिक उपयोग की भूमि होने के कारण इस भूमि का आवंटन/नियमन नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी को होना निषिद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी के लम्बे कब्जे के संबध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं तथा अपीलार्थी इस सामुदायिक भूमि को हड़पना चाहता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में कोई विधिक दोष नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ग्राम पंचायत ने अपनी बहस में कथन किया कि जोहड़ पायतन की भूमि सामुदायिक भूमि है जिस पर से अपीलार्थी का अतिक्रमण हटाया जाना व्यापक जनहित में है। उनका कथन है कि ग्राम पंचायतों की सामुदायिक उपयोग की भूमियों पर कतिपय प्रभावशाली एवं ताकतवर व्यक्ति अतिक्रमण कर आम जनता को जन सुविधा से वंचित कर देते हैं अतः ऐसे मामलों में नियमन नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज करने का कथन किया।

7. उभरा पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. उपरोक्त प्रकरणों में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एवं चक 9 एस. जी.एम. में स्थित विवादित भूमि की किस्म जोहड़ पायतन है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि जोहड पायतन की भूमि एक सामुदायिक भूमि है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं क्योंकि जोहड़ पायतन की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन एवं नियमन व खातेदारी अधिकार देने से निषिद्ध रखी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य की लोकहित याचिका में नदी, तालाब, नाले एवं विभिन्न जल स्त्रोंतो से संबंधित व्यापक जनहित से जुडी भूमियों के आवंटन को रद्द करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किये हैं। श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन की लोकहित याचिका में दिये गये निर्देशों का संगत उद्धरण निम्न प्रकार है :–

All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह वगैरह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के प्रकरण (1132/2011 आर.एल.डब्ल्यू. (सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 389) में सामुदायिक भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण व नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to removed their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchahat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers of suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years."

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से यह अभिनिर्णीत किया है कि सामुदायिक भूमियों के नियमन के संबंध में यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी भी की गई हैं तो ऐसी अधिसूचनाऐं व्यर्थ एवं शून्य हैं। उन्होंने व्यापक जनहित में सामुदायिक भूमियों पर से अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त एवं बिना देरी के कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

11. उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में यह न्यायालय विवादित भूमि जिसकी किस्म जोहड पायतन है, उसके नियमन को उचित नहीं पाता है, नियमन की ऐसी कार्यवाही व्यापक जनहित के विरूद्ध है अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली के जो आदेश पारित किये गये हैं, वे विधिसम्मत हैं।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 19/11/2005 को पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार, सूरतगढ को निर्देश हैं कि वे अपीलार्थी को बिना किसी देरी के भौतिक रूप से बेदखल करें एवं उसके विरूद्ध बकाया तावान आदि की वसूली भी करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य